कृषि और ग्रामीण सहकारी ऋण राहत योजना 1991

403. श्री ईश दत्त यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने "कृषि और ग्रामीण सहकारी ऋण राहत योजना, 1991" के अन्तर्गत राज्य-वार आबंटन के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया था और उसमें से अब तक कितनी धनराशि का आबंटन कर दिया गया है ; और

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार को आबंटित राशि का पूरा भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दी गई ऋण राहत की समस्त राशि की हामीदारी भरने और सहकारी ऋण संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई ऋण राहत के 50% भाग के लिए सहायता देने का वचन दिया है । सहकारी संस्थाओं के लिए योजना की लागत के बाकी 50% भाग को राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाना है । बहरहाल, उन स्थिति में जहां राज्य सरकारें सहकारी संस्थाओं की ऋण राहत की लागत के 50% हिस्से को पूरा कर पाने की स्थिति में नहीं है, राज्य सहकारी बैंक भूमि विकास बैंक नाबार्ड के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक से रियायती ऋण प्राप्त कर सकते हैं । इसके अलावा, योजना के अन्तर्गत बैंकों को प्रतिपूर्ति उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए दावा विवरणों के आधार पर की जाती है । अतः योजना के अन्तर्गत निधियों का कोई राज्यवार आबंटन नहीं किया गया है ।

उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 112.47 करोड़ रुपये के दावों की तुलना में उन्हें 161.18 करोड़ रुपये की राशि की प्रतिपूर्ति की गई है । जहां तक राज्य में सहकारी संस्थाओं का संबंध है उनके 547.28 करोड़ रुपये के दावों की तुलना में उन्हें केन्द्रीय सरकार के 50% हिस्से के रूप में 161.18 करोड़ रुपए की राशि की प्रतिपूर्ति की गई है नाबार्ड के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकार से 50% के हिस्से को पूरा करने के लिए सरकारी संस्थाओं को 161.18 करोड़ रुपए का ऋण भी प्रदान किया । यह आशा की जाती है कि चालू और अगले वित्तीय वर्ष में शेष राशि की भी व्यवस्था कर दी जायेगी ।

उत्तर प्रदेश में किसानों को दिए गए ऋण

404. श्री ईश दत्त यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में अनुसूचित बैंकों ने किसानों को, जिलावार कितनी राशि के ऋण दिए हैं ; और

(ख) इसी अवधि के दौरान ऋण की कितनी राशि वसूल की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में जून, 1987, जून, 1988 और जून, 1989 (अद्यतन उपलब्ध) को समाप्त हुए पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रत्यक्ष कृषि ऋणों (सम्बद्ध गतिविधियों को जोड़कर) के लिए संवितरित की गयी रकम निम्नानुसार है :—

(करोड़ रुपये में)

जून को समाप्त हुए वर्ष	रकम
1987	193.8
1988	216.8
1989	277.3